

07/03  
25

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी अनुपस्थित  
वादी भी अनुपस्थित। तीन बार रुक-रुक कर  
आवाज लगाई गई, लेकिन कोई भी उपस्थित  
नहीं हुआ। अतः प्रकरण को अन्तर्गत आदेश  
09 R 8 CPC अदम हाजरी अदम पेशी में  
खारिज किया जाता है। पत्रावली फौज  
शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद  
वामिल तकमील दाखिल रहते है।



*[Handwritten Signature]*  
08/03/25

उपखण्ड अधिकारी  
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

